प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक– 11.10.2019

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

गोण्डा। वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने जनपद के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए इस आदेश के अनुपालन में दिनांक 10.10.2019 को जनपद के थानों से 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 115 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामफेर पुत्र स्व0 राम आधार नि0 आनन्दपुर मौजा सिंहपुर थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 358/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम, 02. कल्लू पुत्र जगप्रसाद नि0 गोपियन पुरवा मौजा सिंहपुर थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 359/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 03. कलपू पुत्र हादित प्रसाद नि0 नकटापुर मौजा सिंहपुर थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0– 360/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. केशराम पुत्र हीरा लाल नि0 मरिक बन सिहा गॉव थाना मोतीगंज गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–256/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पप्पू सिंह पुत्र साधू नि0 मोहल्ला कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–385/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

04. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सुभाष पुत्र नगीना मलाह 02. अर्जुन पासवान पुत्र कुइरे पासवान नि0 बासगॉव रोशनगंज थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–265/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आर्म्स एक्ट में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के थाना को0 नगर पुलिस ने अभियुक्त विशाल तिवारी पुत्र महेन्द्र कुमार तिवारी नि0 जोतिया थाना धानेपुर गोण्डा के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0सं0–775/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया।

थाना परसपुर पुलिस द्वारा गोलीकांड के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद नाजायज पिस्टल बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. दर्शन सिंह पुत्र रामसेवक सिंह निवासी ग्राम परसनपुरवा मौजा चौरान्हा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. रणधीर सिंह पुत्र रामसेवक सिंह निवासी ग्राम परसनपुरवा मौजा चौरान्हा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. धर्मेन्द्र उर्फ लकी पुत्र महेंद्र बहादुर सिंह निवासी शान नगर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. एक अदद नाजायज पिस्टल 32 बोर बरामद।
02. 02 अदद कारतूस 32 बोर बरामद।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–263/19 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

02. मु0अ0सं0–266/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.10.19 को थाना परसपुर क्षेत्र में आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर फायर कर घायल करने की घटना प्रकाश में आई थी। जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राजकरन नय्यर ने थानाध्यक्ष परसपुर को जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना के अनावरण हेतु कड़े निर्देश दिए थे। जिसके परिपेक्ष्य में थानाध्यक्ष परसपुर बृजानन्द सिंह ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित तीन अभियुक्तों– 01. दर्शन सिंह 02. रणधीर सिंह पुत्रगण रामसेवक सिंह निवासीगण परसनपुरवा चौरान्हा थाना परसपुर जनपद गोण्डा व 03. धर्मेन्द्र उर्फ लकी पुत्र बहादुर सिंह निवासी शान नगर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया।

दिनांक 08.10.19 को थाना परसपुर पर वादी श्री करुणपाल सिंह पुत्र देवशरण सिंह निवासी ग्राम परसपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा ने दर्शन सिंह सहित तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आपसी रंजिश में अपने पुत्र शिव बक्श उर्फ शिब्बू को जान से मारने की धमकी देने, गाली–गुप्ता देने व जान से मारने की नियत से दर्शन सिंह उपरोक्त द्वारा पिस्टल से फायर कर घायल कर देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशों का तत्परता से पालन करते हुए थानाध्यक्ष परसपुर ने उक्त अभियुक्तों को आज मुखबिर की सुचना पर डेहरास चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त दर्शन सिंह उपरोक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद पिस्टल मय दो अदद जिन्दा कारतूस भी बरामद कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता–

01. बृजानन्द सिंह थानाध्यक्ष परसपुर।
02. उ0नि0 सुरेश मणि मिश्रा।
03. मु0आ0 राजकुमार सिंह।
04. आ0 अभिषेक यादव।
05. आ0 धीरज कुमार वर्मा।

थाना को0 देहात पुलिस ने जुआ खेलते 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सलीम पुत्र सगड़ू निवासी पूरे तिवारी थाना को0 देहात गोण्डा।
02. रईश पुत्र अली हुसैन निवासी पूरे तिवारी थाना को0 देहात गोण्डा।
03. इस्माइल पुत्र इसराइल निवासी पूरे तिवारी थाना को0 देहात गोण्डा।
04. राजा बाबू पुत्र दिलदार निवासी पूरे तिवारी थाना को0 देहात गोण्डा।
05. सद्दाम पुत्र जमील अहमद निवासी पूरे तिवारी थाना को0 देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0– 348/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामगदी–

01. 52 तास के पत्ते।
02. 720 रूपया नगद।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.10.2019 को शाम के समय मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बहद ग्राम पुरे तिवारी बाबा मजार के पीछे सागवन बगिया में जुआ खेल रहे है, मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर हेका बब्बन यादव मय हमराह फोर्स के साथ मौके पर पहुॅचकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 720 रूपये बरामद कर थाना को0 देहात पर 13 जुआ एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया हैं।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. हे0का0 बब्बन यादव।
02. हे0का0 अनिल यादव।
03. का0 रमेश यादव।
04. का0 रमेश यादव।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बूचे पुत्र वारिश नि0 नई बाजार कस्बा व थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. अलाउद्दीन पुत्र भादे नि0 तकिया मस्जिद के पास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 105 टेबलेट कुल 52 मिली ग्राम अल्प्रा जोलम।
02. 120 टेबलेट कुल 60 मिली ग्राम अल्प्रा जोलम।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–773/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–774/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10.10.2019 को उ0नि0 गोपाल सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ (टेबलेट) के साथ गंगापुर तिराहा मोड़ के पास खड़े है। इस सूचना पर उ0नि0 गोपाल सिंह मय हमराह फोर्स के साथ उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्त बुचे उपरोक्त के कब्जे से 105 टेबलेट कुल 52 मिली ग्राम अल्प्रा जोलम व अभियुक्त अलाउद्दीन उपरोक्त के कब्जे से 120 टेबलेट कुल 60 मिली ग्राम अल्प्रा जोलम बरामद कर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 गोपाल सिंह।